संख्या - 31/सीपी 35/84-2-2014-10(विविध)/98 टीसी

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 24 जनवरी, 2014

विषय श्रीमती अंजू रानी अग्रवाल पत्नी श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, एडवोकेट बदायूँ को उपभोक्ता फोरम, बदायूँ में महिला सदस्य नामित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 10/फो0ना 113/84-2-2013-सीपी 6/2013, दिनांक 6 सितम्बर, 2013 के क्रम में शासन के पत्र संख्या-87/484/84-2-2013-10(विविध)/98 टीसी, दिनांक 28 नवम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वांछित सूचना/आख्या अभी तक शासन को अप्राप्त है। अत: कृपया प्रकरण में वांछित आख्या शासन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in